भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2864

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता

2864. श्री इमरान मसूद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभाव का अध्ययन तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिकायत निवारण प्रणाली अधिक पारदर्शी हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायत स्तर पर डिजिटल अभिलेखों को अनिवार्य कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तुलनात्मक प्रदर्शन रिपोर्ट उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) ग्रामीण विकास विभाग ने "भू-स्थानिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता" का उपयोग करते हुए मनरेगा तालाबों के लिए **"राष्ट्रीय प्रभाव आकलन और निगरानी प्रणाली"** विकसित की है, जिसे **'भू-प्रहरी'** नाम दिया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य भू-स्थानिक विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत निर्मित तालाबों का **प्रभाव आकलन** और उनके निष्पादन **की निगरानी** करना था। यह प्रभाव आकलन अध्ययन **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली)** द्वारा किया गया था, और निष्कर्षों की एक विस्तृत रिपोर्ट **मई 2025** में ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई थी।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीन एजेंसियों–**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली**, **सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी)** और **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)** की सहायता से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा) योजना का प्रभाव विश्लेषण किया है। पीएमजीदिशा योजना का

नवीनतम प्रभाव आकलन अध्ययन **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)** द्वारा संचालित किया गया था। देश भर के **6 करोड़ ग्रामीण परिवारों** (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक डिजिटल साक्षरता पहुँचाने के उद्देश्य से **'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा)** की शुरुआत की गई थी। विश्लेषणों से यह निष्कर्ष निकला है कि पीएमजीदिशा के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी' (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर **महत्वपूर्ण प्रभाव** पड़ा है। इसने विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच को सुलभ बनाकर अपने प्रतिभागियों को लाभान्वित किया है, जिससे देश में व्याप्त **डिजिटल विभाजन** को कम करने में मदद मिली है।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों के तहत **शिकायत निस्तारण प्रणाली** को हाल के वर्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायतों के समयबद्ध समाधान को बढ़ाने के उद्देश्य से सुदृढ़ किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग की प्रत्येक योजना, जैसे कि मनरेगा, पीएमएवाई-जी, एनएसएपी और अन्य में, उपयोगकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए अपनी स्वयं की **शिकायत निस्तारण प्रणाली** है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे कि **'रूरल वन'**, **'मेरी सड़क'**, **'जनमनरेगा'** और आदि जो विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शिकायतों की निगरानी और उनके समाधान की सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा नागरिक, भारत सरकार के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म **'केंद्रीकृत लोक शिकायत निस्तारण और निगरानी प्रणाली' (सीपीग्राम्स)** के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल लाभार्थियों और हितधारकों को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों और सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने तथा अपनी शिकायतों की स्थिति को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।

(ग) सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पंचायत स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड, मस्टर रोल, कार्य, मजदूरी भुगतान और परिसंपत्तियों से संबंधित अभिलेख नरेगासॉफ्ट और संबंधित एप्लीकेशन्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत श्रमिक और परिसंपत्ति के स्तर तक सूक्ष्म विवरण भी कैप्चर करते हैं, जिससे बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों का विवरण, स्वीकृति आदेश, निधि जारी करना और आवासों की प्रगति का रिकॉर्ड आवाससॉफ्ट और आवासएप के माध्यम से डिजिटल रूप से रखा जाता है। ये प्रणालियाँ लाभार्थी के स्तर पर योजना से संबंधित डेटा लेती हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और कार्यान्वयन की वास्तविक-

समय निगरानी में सुविधा मिलती है।

इसके अलावा, 'जनमनरेगा' जैसी डिजिटल प्रणाली और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग पंचायत और क्षेत्र स्तर पर वास्तविक-समय डेटा लेना, निगरानी और शिकायत निस्तारण की सुविधा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है।

(घ) और (ड़.) ग्रामीण विकास विभाग ने भू-स्थानिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके मनरेगा तालाबों के आकलन के लिए **'भूप्रहरी'** शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत **'सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड'** द्वारा कार्यान्वित **'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा)** का लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। आईआईटी दिल्ली, सीएसडी और आईआईपीए द्वारा पीएमजीदिशा के प्रभाव आकलन किया गया था, जिससे डिजिटल सेवाओं तक पहुंच और आईसीटी अपनाने में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत मिला, जिससे डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है। यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होने से पहले 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में 4.39 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से 6.39 करोड़ व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर चुकी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति अनुबंध-I में दी गई है।

******

अनुबंध-I

पीएमजीदिशा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	नामांकित अभ्यर्थी	प्रशिक्षित अभ्यर्थी
1.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	5,564	2,931
2.	आंध्र प्रदेश	23,01,731	19,17,452
3.	अरुणाचल प्रदेश	14,949	11,615
4.	असम	27,21,585	23,60,195
5.	बिहार	82,40,606	74,12,740
6.	छत्तीसगढ़	24,86,455	21,37,064
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	20,522	18,029
8.	गोवा	58,569	53,784
9.	गुजरात	30,31,310	26,83,286
10.	हरियाणा	18,57,815	15,77,109
11.	हिमाचल प्रदेश	6,61,922	5,32,976
12.	जम्मू और कश्मीर	8,70,451	7,06,991
13.	झारखंड	27,52,731	22,86,356
14.	कर्नाटक	29,64,726	24,40,957
15.	केरल	1,77,165	1,18,132
16.	लद्दाख	24,785	22,122
17.	लक्षद्वीप	142	35
18.	मध्य प्रदेश	56,92,467	50,69,449
19.	महाराष्ट्र	61,23,970	53,23,817
20.	मणिपुर	28,397	18,286
21.	मेघालय	1,52,783	1,06,063
22.	मिजोरम	30,317	23,125
23.	नागालैंड	11,990	8,968
24.	ओडिशा	36,16,441	30,86,143
25.	पुदुचेरी	22,079	15,801
26.	पंजाब	17,46,448	15,14,820
27.	राजस्थान	45,06,184	39,70,690
28.	सिक्किम	27,035	23,122
29.	तमिलनाडु	17,04,537	14,07,880
30.	तेलंगाना	14,56,226	12,10,448

31.	त्रिपुरा	3,25,000	2,64,186
32.	उत्तर प्रदेश	1,63,14,369	1,45,48,273
33.	उत्तराखंड	7,85,978	6,73,306
34.	पश्चिम बंगाल	28,36,714	23,95,565
	कुल	**7,35,71,965**	**6,39,41,718**

*** चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी क्षेत्र हैं, इसलिए वे इस योजना में शामिल नहीं हैं।**

****